भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3783
16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई का क्रियान्वयन

3783. श्री सप्तगिरी उलाकाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा राज्य में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के क्रियान्वयन में हासिल की गई सफलता का ब्यौरा क्या है;
(ख) ओडिशा में इस योजना के अंतर्गत कुल कितने किसान बीमित किए गए हैं;
(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी प्रकार की फसलों के लिए बीमा दावों की मांग की गई है और गत दो वर्षों में इस संबंध में अब तक कितनी बीमा राशि संवितरित की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (घ): बुवाई-पूर्व से लेकर कटाई के बाद के सभी गैर-रोके जाने योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरूद्ध फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने हेतु एक सरल और सस्ती फसल बीमा योजना प्रदान करने की दृष्टि से और दावे की पर्याप्त राशि और दावों का समय पर निपटान करने के लिए, सरकार द्वारा एक उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) नाम की योजना खरीफ 2016 से शुरू की गई है।

ये योजनाएं राज्यों के लिए वैकल्पिक हैं और उन्हें बीमा कंपनी का चयन करना, फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करना और योजनाओं के तहत दावों को निपटाने के लिए थ्रेसहोल्ड उपज और वर्तमान मौसम की वास्तविक उपज को निर्धारित करने के लिए पिछले उपज के आंकड़े प्रदान करना है। इन योजनाओं के प्रारंभ से ओडिशा पीएमएफबीवाई को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएफबीवाई के तहत ओडिशा में इस योजना के शुरू होने से बीमित किसानों और पात्र किसानों को भुगतान किए गए दावों सहित कवरेज का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को, प्रत्येक फसल और बीमा इकाई क्षेत्र में सीसीई की अपेक्षित संख्या का संचालन करने के लिए फसल कटाई के अपेक्षित प्रयोगों और राज्यों की क्षमता के आधार पर पिछले उपज के आंकड़ों की उपलब्धता के अध्यधीन पीएमएफबीवाई के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है। पीएमएफबीवाई के तहत खरीफ 2016 में स्कीम की शुरुआत से रबी 2018-19 तक ओडिशा द्वारा अधिसूचित फसलों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

मौसम	पीएमएफबीवाई के तहत ओडिशा द्वारा अधिसूचित फसलें
खरीफ 2016	धान, मूंगफली, कपास, अदरक और हल्दी
रबी 2016-17	धान, मूंगफली, सरसों, आलू, काला चना और हरा चना
खरीफ 2017	धान, मूंगफली, मक्का, कपास, अरहर, अदरक और हल्दी
रबी 2017-18	धान, मूंगफली, सरसों, काला चना, हरा चना, आलू, गन्ना, प्याज और सूरजमुखी
खरीफ 18	धान, मक्का, मूंगफली, मसूर, कपास, अदरक और हल्दी
रबी 2018-19	धान, मूंगफली, काला चना, हरा चना, आलू, सरसों, सूरजमुखी, प्याज और गन्ना

लो.स.अता.प्र.सं.3783

अनुबंध

ओडिशा में पीएमएफबीवाई के अंतर्गत कवरेज का ब्यौरा

वर्ष/मौसम	किसानों का नामांकन	बीमित क्षेत्र	बीमित राशि	सकल प्रीमियम	सकल प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	कुल दावे	लाभांवित किसान
	(लाख में)	(लाख हेक्टेयर में)	(करोड़ रूपए में)				(लाख में)
2016-17	18.20	13.19	7262	539	143	432	1.69
2017-18	18.92	13.52	7300	819	145	1775	7.53
2018-19 खरीफ 2018	19.96	14.23	8295	1114	166	476*	2.54

* अनंतिम। सभी फसलों/क्षेत्रों के संबंध में दावों की सूचना नहीं दी गई है।

*****